बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–8बी/विविधअरा0आ0नि0-13/2022 -1534/–श्री विष्णु झा, निम्नवर्गीय लिपिक द्वारा जिला अवर निबंधन कार्यालय, शेखपुरा के पदस्थापन अवधि में नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् शेखपुरा के द्वारा प्रतिवेदित नगर थाना, शेखपुरा में धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर गैरमजरूआ भूमि की धोखा–धड़ी एवं जालसाजी कर खरीद–बिक्री किये जाने का मामला प्रकाश में आने एवं आरोपी कर्मी का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाये जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या–1237 दिनांक 14.03.2024 विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, विभागीय कार्यवाही के उपरान्त संचालन पदाधिकरी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य से असहमति के बिन्दु को उल्लेखित करते हुए आरोपी कर्मी श्री विष्णु झा, निम्नवर्गीय लिपिक से विभागीय पत्रांक–2956 दिनांक–03.06.2025 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उनका द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया जिसमें श्री झा के द्वारा माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा कुँज बिहारी मिश्रा के मामले में पारित न्याय निर्णय के आलोक में पोष्ययोग्य नहीं है के आधार पर उनके द्वारा आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री झा ने अपने बचाव बयान के समर्थन में कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है और न ही अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई तथ्य अथवा साक्ष्य समर्पित किया है। जबकि संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न साक्ष्य अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समय–समय पर अंचल अधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता द्वारा सरकारी भूमि एवं रोक सूची से संबंधित प्रतिवेदन जिला निबधन कार्यालय, शेखपुरा को उपलब्ध कराया गया है जिसका आरोपी कर्मी द्वारा अनदेखा किया गया। फलतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया। अतएव समीक्षोपरांत आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए श्री विष्णु झा, निम्नवर्गीय लिपिक (निलंबित) जिला अवर निबंधन कार्यालय, शेखपुरा, सम्प्रति सहायक निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के प्रमाणित आरोप के फलस्वरूप विभागीय आदेश–4025 दिनांक–16.07.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा 14 के अधीन लघु दण्ड 1. निन्दन (आरोप वर्ष 2022) एवं 2. असंचयात्मक प्रभाव से 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित व संसूचित किया गया जिसके विरूद्ध श्री झा के द्वारा समर्पित अपील आवेदन पर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–09.10.2025 एवं दिनांक–31.10.2025 को सुनवाई की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) क्या अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रक्रियाओं का सर्वथा पालन किया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पा रही है ?

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है?

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है ?

10.03.26

3. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा है कि नियुक्ति प्राधिकार ही अनुशासनिक प्रधिकार है, फलतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17(3) में विहित प्रावधान के आलोक में उनके विरूद्ध विहित रीति से आरोप पत्र का गठन करने एवं उक्त नियमावली के नियम–17 (4) में प्रावधानित रीति के अनुसार आरोप पत्र का साक्ष्य सहित इन्हे उपलब्ध कराते हुए कारण पृच्छा मांगकर उसपर विचारोपरांत ही उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के संस्थापन हेतु आदेश निर्गत करने के लिये अधिकृत है। किन्तु इस मामले में बिहार सरकारी (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17(3) में विहित प्रावधान के प्रतिकूल तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक (श्री काशी कुमार) के द्वारा दिनांक–14.06.2023 को आरोप पत्र का गठन सर्वथा अनाधिकृत तौर पर किया गया, फलतः दिनांक–14.06.2023 को इनके विरूद्ध अक्षम (INCOMPENT) पदाधिकारी द्वारा गठित आरोप पत्र योग्य नहीं है।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपित कर्मी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संलग्न अनुलग्नको की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि श्री झा ने अपने बचाव बयान में अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं किया है और न ही अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई तथ्य अथवा साक्ष्य समर्पित किया है साथ ही उन्होने अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से पत्र निर्गत किये जाने वाले पदाधिकारी की अधिकारिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है एवं उन्होने विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है जबकि संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न साक्ष्य अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि समय–समय पर अंचल अधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता द्वारा सरकारी भूमि एवं रोक सूची से संबंधित प्रतिवेदन जिला निबंधन कार्यालय, शेखपुरा को उपलब्ध कराया गया है जिसका आरोपी कर्मी द्वारा अनदेखा किया गया। इनका यह कार्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। निष्कर्ष जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से समर्थित है। आरोपित कर्मी के विरुद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

6. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी श्री विष्णु झा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधक कार्यालय, शेखपुरा सम्प्रति जिला अवर निबंधन, कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

7. अतएव उक्त के आलोक में श्री विष्णु झा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधक कार्यालय, शेखपुरा सम्प्रति जिला अवर निबंधन, कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

8. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

10.05.24

ज्ञापांक–8बी/विविधअरा0आ0नि0-13/2022 1534 /– पटना, दिनांक– 10.03.26

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना /समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, शेखपुरा/डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/जिला अवर निबंधक, शेखपुरा/जिला अवर निबंधक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री विष्णु झा, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधक कार्यालय, शेखपुरा सम्प्रति जिला अवर निबंधन, कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2026

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार, पटना।

10.03.26